International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.340, Volume 04, No. 01(II), January - March, 2022, pp.129-131

महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरुकता में शिक्षा का महत्व

ललिता धाकड*
डॉ. भारती विजय**

सार

में नारी हॅं, इस पर है गर्व मुझे, ना चाहिए कोई पर्व मुझे।
संकल्प करो कुछ ऐसा कि अब सम्मान मिले हर नारी को,
बंदिश और हर जुल्म से मुक्त हो, अपनी खुद वो अधिकारी हो।

उपरोक्त पंक्तियाँ हर नारी के मन की व्यथा को दर्शाती हैं। नारी को मान सम्मान के साथ –साथ उसकी शिक्षा ही उसकी विपरीत परिस्थितियों से लडने की शक्ति प्रदान करती है। एक कहावत भी है कि एक पुरुष को शिक्षित कर के हम सिर्फ एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं लेकिन एक नारी की शिक्षा से ना केवल एक परिवार, एक समाज परन्तु पूरा देश शिक्षित होता है। वैसे भी पुरुष एवं स्त्री इस समाज के एक सिक्के के दो पहलु हैं तो सिक्के की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए शिक्षा एवं अधिकार भी समान रुप से प्राप्त होने चाहिए। जब एक पुरुष के शैक्षिक जीवन को परिवार और समाज सम्पूर्ण देश अपने विकास में सहायक समझता है तो एक महिला का शैक्षिक जीवन भी अर्थात नारी शिक्षा देश के विकास में आवश्यक है। महिलायों के प्रति कोई भी नकारात्मक सोच इस समाज के एवं देश के विकास में बहुत बडा रोड़ा साबित होगा क्यों कि एक नारी ही एक परिवार की रचनाकार और सृजनकर्त्ता होती है जो देश के लिए एक जिम्मेदार नागरिक को जन्म देकर एक सभ्य एवं संस्कार युक्त नागरिक का निर्माण भी करती है।प्रत्येक महिला शिक्षा से अपने विरुद्व नकारात्मक व्यवहार एवं आचरण के खिलाफ आवाज उठाने में सक्षम बनती है क्यों कि शिक्षित नारी ही अपने अधिकारों एवं कानूनों की सही जानकारी प्राप्त कर पाती है। और अपने प्रति हो रहे शोषण, अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा पाती है।

मुख्य शब्दः *नारी शिक्षा, शिक्षा का महत्व, शोषण, अत्याचार, पुरुष एवं स्त्री।*

---

i:Lrkouk

''नास्ति विद्यासमं चक्षुर्नास्ती मातृ समोगुरु''

अर्थात इस दुनिया में शिक्षा (विद्या) के समान कोई क्षेत्र नहीं है और माता के समान कोई गुरु नहीं है।

प्राचीन भारतीय काल से हमारी संस्कृति में नारी के लिए श्रद्वापूर्ण एवं सम्मानजनक स्थान रहा है परन्तु प्राचीन समय से ही शोषण, अत्याचार, नकारात्मक सोच नारी को क्षति पहुॅचाते रहे हैं। इन सभी सोच व अत्याचारों की लड़ाई पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रत्येक महिलायों को इनके विरुद्व आवाज उठानी आवयश्क है और इस विजय के रास्ते को आसान बनाने में स्त्री शिक्षा का विशेष योगदान रहता है।

जब एक स्त्री शिक्षित होती है तो वह एक परिवार, एक समाज के साथ–साथ अपने हितों के बारे में सोचने में सक्षम बन जाती है।शिक्षित नारी घरेलु हिंसा, शोषण,अत्याचारों से आसानी से निजात पा सकती है क्यों की शिक्षा अक्षर बोध के साथ–साथ अन्तर मत में छिपी हुई शक्तियों को जागृत करने का स्त्रोत भी है, शिक्षा

* शोधार्थी, एपेक्स यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान।
** शोध निर्देशिका, एपेक्स यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान।

बुद्वि का विकास कर उसे परिभाजित एवं परिकृष्त करती है जिससे नारी अपने व अपने परिवेश के साथ सामंजस्य करने में सक्षम बनती है जिससे वह तर्क वितर्क कर स्वयं को परिवेश के अनुकूल बना सकती है। विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्था एवं विभिन्न स्थानों पर महिलायों के मन में विभिन्न प्रकार की संकाये रहती है जिनका वे समाधान खोजने का प्रयास करती हैं और उचित समाधान के अभाव में या तो वे थक कर हार मान लेती है या उन्हें ऐसे साधनों की तलाश रहती है जो उन्हें उनकी शंकाओं का समाधान दे सके नारी जाति पर बचपन से ही विभिन्न प्रकार की बंदिशों की शुरुआत कर दी जाती है। जैसे लड़कीयों कि तरह कपड़े पहनों, लड़कियों वाले खेल खेलों, लड़कियों की तरह उठना, बैठना, चलना, फिरना आदिइन सभी बंदिशो के ऊपर भी कई परिवार तो लड़को की शिक्षा कों ही सर्वोपरि रखते है उनकी नजरों में लड़कियाँ पराया धन समझी जाती हैं उन्हें शिक्षा से भी वंचित कर दिया जाता है जिस से महिलायें अपने हितों के बारें में सोच भी नहीं पाती ना ही अपने अधिकारों के बारे में जान पाती हैं। आज भी समाज में शिक्षा को समानता का दर्जा दिलाने हेतु जागरुकता की आवयश्कता है क्यों की आज भी परिवारों में भेद–भाव का प्रचलन लगातार चला आ रहा है। जिसके चलते लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जााता है।

महिलायों की स्थिति समयानुसार बदलती रही है जिसमें महिलायों के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे हैं। वैदिक काल में स्त्री शिक्षा थी परन्तु नारी अत्यचारों की प्रबलता भी थी जिससे उस काल की स्त्री शिक्षा से वंचित रही और जिन नारियों ने जैसे घोषा, अपाला,मैत्रेयी, गार्गी आदि ने शिक्षा प्राप्त की उन्होंने अपने ज्ञान से पुरुषों को भी मात दी कालान्तर में राजा राम मोहन राय और ईश्वरचन्द, विद्यासागर ने नारी शिक्षा के प्रचलन का सर्वोत्तम प्रयास किया। अनेकों विरोधों के उपरान्त स्त्री शिक्षा के महत्व को लेकर परिवर्तन आया समयानुसार नारी शिक्षा की प्रगति एवं विकास होने लगा।

एक शिक्षित नारी समाज में अपने प्रति हो रहे भेदभाव हिंसा, शोषण एवं अत्याचारों को रोकने में सक्षम हो पाती है। शिक्षा वह स्त्रोत है जिससे महिलायें अपने अधिकारों के हथियार का उपयोग कर अपने प्रति हो रहे हिंसा, अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ सकती है और विजय प्राप्त कर सकती है। नारी की शिक्षा ही उसके अंधकार में प्रकाश का मार्ग प्रशस्त करती है। शिक्षित महिलायें आर्थिक, पारिवारिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनकर देश की उन्नति में सहायक होती है।

अध्ययन के उद्देश्य

- महिला शिक्षा को प्रोत्साहन मिल सके।
- वास्तविक परिपेक्ष में महिलायों के प्रति भेद भाव में कमी लाना।
- महिलायों को अपने अधिकारों की जानकारी होना।
- महिलायों की सोच को शिक्षा के माध्यम से सुदृढ़ बनाना।

आंकड़ो का संकलन

आंकडों का संकलन विषय से सम्बंधित पूर्व में किये गये प्रकाशित शोध ग्रन्थों, पत्र–पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों एवं इंटरनेट के माध्यम से किया गया है।

प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र में पुस्तकालय अध्ययन पद्वति संकलनात्मक विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्वति का प्रयोग किया गया है।

विश्लेषण

भारतीय संविधान में महिलायों को हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर दर्जा प्राप्त है परन्तु नारी शिक्षा की वास्तविकता बराबरी से कोसों दूर है और आज भी कई परिवारों में नारी शिक्षा भेदभाव पूर्ण है जिसे जागरुकता की आवश्यकता है। महिलायों के प्रति भेदभाव की स्थिति अत्यन्त सोचनीय होती जा रही है।जब दैनिक समाचार पत्रों की हैडलाइन महिलायों के प्रति हो रहे अत्याचारों की कहानी कहती है।

वर्तमान समय मे महिलायों पर हो रहे अत्याचार चरम सीमा पर है आज हर समाज देश ही नही पूरा विश्व महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा एवं अत्याचारों से हिल चुका है। बलात्कार, शोषण, दहेज के लिए लडकियों को जलाना, प्रताडित करना,बालिका भ्रूण हत्या, अपरहण आदि घटनाऐं प्रतिदिन कहीं न कहीं घटित हो रही है। कानूनी एवं सवैधानिक रुप से हर देश एवं समाज ने महिलाओं को उनके संरक्षण एवं सम्मानजनक स्थिति के लिए अनेंको कानून बनाये है। परन्तु इन प्रावधानों के बारे प्रत्येक महिला को या तो उचित जानकारी नहीं होती या वह अधुरी जानकारी के चलते इनका उपयोग अपने जीवन में नहीं कर पाती है। इस अज्ञानता का सबसे बड़ा कारण स्त्री की अशिक्षा है अर्थात उसका शिक्षा से वंचित रहना। सर्वे के अनुसार लगभग 145 मिलियन महिलायें आज भी भारत में लिखने पढ़ने में असमर्थ है, ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति शहरी क्षेत्रों के अपेक्षा अधिक सोचनीय है। शिक्षा की सोचनीय हर नारी के जीवन की प्रतिकुल परिस्थतियों को और कठिन बना देती है। प्रत्येक महिला शिक्षित होकर ही अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों को सृदढ़ता एवं सरलता से अपने अनुकूल बनाकर अपने अधिकारों के प्रति जागरुक बन सकती है। जब नारी अपने अधिकारों के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर लेगी तो वह उनका समयानुसार उचित रुप से उपयोग कर अपने व अपने परिवार के साथ–साथ समाज एवं देश में नारी के सम्मानजनक और श्रद्वापूर्वक उचित स्थान प्राप्त कराने हेतु दिशा प्रदान कर सकेगी।

निष्कर्ष

भारतीय समाज पुरुष प्रधान है कानूनी रुप से महिलाओं को पुरुषों की बराबरी करने हेतु कितने ही कानून बना दिए जाएं परन्तु वास्तविकता में आज भी 80 प्रतिशत महिलायें अपने घर की चार दिवारी तक सीमित हैं हालांकि शहरी क्षेत्रों की स्थिति ग्रमीण क्षेत्रों की अपेक्षा थोड़ी बहतर है परन्तु अधिकांश भारतीय आबादी तो ग्रामीण क्षेत्र में ही निवास करती है। हम दुनिया में शक्ति के रुप में उभर कर सामने आने के लिए तेजी से प्रगति कर रहे है परन्तु महिलायों की सोचनीय स्थिति महिलाओं के प्रति हो रही दिन–प्रति दिन की अत्याचारपूर्ण घटनाऐं हमारे सामने एक कठोर वास्तविकता के रुप में आज भी जस की तस है शहर की शिक्षित स्त्रियॉ भी इन प्रतिकूल परिस्थतियों का शिकार हो जाती है। महिला सुरक्षा अथवा अपनी लड़कीयों की सुरक्षा का वास्ता देकर या चिन्ता में कई अभिभावक अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने से कतराते हैं महिला शिक्षा की इस सोचनीय स्थिति में बदलाव लाना आवश्यक है क्योंकि वर्तमान महिला के प्रति गंदी सोच एवं कुठित मानसिकता को बदलने के लिए हर नारी को शिक्षित करना अन्यंन्त आवयश्क है जिसके लिए हर व्यक्ति, हर देश,हर समाज को महिला शिक्षा के प्रयास उच्चतम स्तर पर करने चाहिए जिससे महिलाओं की उनको प्रतिकुल परिस्थतियों में बदलाव लाया जा सके। प्रत्येक नारी शिक्षित बनाकर ही अपने अधिकारों के बारे में जान पायेगी अपने सम्मान के लिए अपने प्रति हो रहे अत्याचारों के खिलाफ खडी हो पायेगी।

सुझाव

- महिला शिक्षा कई सामाजिक बुराईयों जैसे–दहेज के खिलाफ,कन्याभ्रूण हत्या के विरुद्व कार्यस्थल पर उत्पीडन आदि के खिलाफ उचित अधिकारों के उपयोग से उन बुराईयों को दूर करने की कुंजी साबित हो सकती है।
- शिक्षित महिलाऐं अधिकारों के बारे में जानकार अपने अत्याचारों के विरुद्व निर्डरता से आवाज उठाने में सक्षम बनेंगी।
- शिक्षित नारी देश के आर्थिक विकास में और श्रम बल में सहायक होगी।
- शिक्षिक महिलाऐं परिवार में बच्चों को अच्छे संस्कारों एवं उचित पोषण के बारे में बता पायेगी।
- शिक्षित महिला देश व समाज के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बनकर सहयोगी बनेगी।
- शिक्षा से सभी प्रतिकुल परिस्थतियों को अनुकूल बनाने में सहायता प्राप्त होगी।

❖◆❖